

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी।

09.12.2023—

उक्त चालानी का निस्स्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जा चुका है।
विस्तृत आदेश भिन्न फलक पर अंकित है। आदेश पत्रावली के साथ संलग्न है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कौशाम्बी।